



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
पटना- 800014



पत्रांक-8 बजट (1) 13/2026 ५९ (नि)आ०

दिनांक- 14/09/2026

प्रेषक

श्रीकान्त शास्त्री, मा०प्र०से०
निदेशक, पशुपालन,
बिहार।

सेवा में

✓निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पशुपालन निदेशालय, बिहार पटना।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-02, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अधीन मुख्य शीर्ष 3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उपमुख्य शीर्ष 01- जनगणना, लघु शीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 0003 पशुगणना, विपत्र कोड 02-3454010010003 के अन्तर्गत व्यय को वहन करने हेतु कुल रुपये 13,000/- (तेरह हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत निम्न तालिका के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में पशुपालन निदेशालय के आवंटनादेश संख्या 27 (नि०) आ० दिनांक 10.08.2026 के क्रम में व्यय को वहन करने हेतु कुल रुपये 13,000/- (तेरह हजार) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

क्र० सं०	विषय कोड एवं विषय शीर्ष	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5
1	01 01 - वेतन	8,40,000	0	8,40,000
2	01 03 - जीवन यापन भत्ता	5,46,000	0	5,46,000
3	01 04 - मकान किराया भत्ता	1,68,000	0	1,68,000
4	01 05 - परिवहन भत्ता	29,700	0	29,700
5	01 06 - चिकित्सा भत्ता	11,900	0	11,900
6	01 07 - अन्य भत्ता	0	0	0
योग - 02-3454.01.001.0003.01- वेतन		15,95,600	0	15,95,600
7	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	0	0
8	11 01 यात्रा व्यय	0	0	0
9	13 01 - कार्यालय व्यय	6,600	13,000	19,600
योग - 02-3454.01.001.0003-पशुगणना		16,02,200	13,000	16,15,200
रुपये:- 13,000/- (तेरह हजार) मात्र				

दूरभाष संख्या: 0612-2215962 ई-मेल: dirahd-bih@nic.in वेबसाइट: state.bihar.gov.in/ahd

30



2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग सं०- 2 के अधीन आय-व्ययक शीर्ष - 3454 -जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 01 - जनगणना, 001 - निदेशन तथा प्रशासन, 0003- पशुगणना, विपत्रकॉड - 02- 3454010010003 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये स्थायी योजना एवं स्थायी स्थापना के तहत दिया जा रहा है। इस राशि का विकलन योजनान्तर्गत सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत पद पर पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि भुगतान में ही किया जाय तथा किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त कर्मियों को भुगतान नहीं किया जाये। संगत वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

4. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.1998, 236/वि० दिनांक- 09.03.2026, 314/वि० दिनांक-01.04.2026 एवं 380/वि० दिनांक 20.04.2026 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी० भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप में उपलब्ध करायी जाय।

(घ) मृत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों एवं कोर्ट केस से संबंधित मामलों का भुगतान नियमानुकूल प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ङ) पुनरीक्षित प्राक्कलन 2026-27 एवं बजट प्राक्कलन 2027-28 जल्द ही उपलब्ध करा दें।

(च) वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रत्युपपन्न प्रतिवेदन 15 मार्च 2027 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापक-8 बजट (1)13/2026 प०पा० 49 (2) आ०/ पटना-14, दिनांक- 14/09/2026

प्रतिलिपि - उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या - टी० ए०- 57 - 96-97-प०पा०-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम०-405/98 पार्ट-3909 वि० (2) दिनांक 30.06.1999 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव /सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को (विभागीय वेबसाइट पर आवंटनादेश को अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक, पशुपालन।

